

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सचिका संख्या-17/एल 1-21/2012-

पटना, दिनांक-

डा० शैलेश चन्द्र झा, सहायक प्राध्यापक, पी०एम०आर० विभाग, जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, भागलपुर को दिनांक-14.06.2018 से 13.08.2018 तक अपनी पुत्री से मिलने हेतु अमेरिका (विदेश) की यात्रा के लिए निम्न शर्तों के साथ स्वीकृति/अनुमति प्रदान की जाती है।

1. डा० झा, विदेश प्रवास के समय अपने पेशे से संबंधित अथवा किसी प्रकार का कार्य धनोपार्जन हेतु नहीं करेंगे।
2. डा० झा, इस यात्रा में होने वाले सम्पूर्ण व्यय का वहन निजी श्रोत से करेंगे।
3. डा० झा, विदेश जाने से पूर्व विदेश प्रवास की अवधि में अपने कार्यों के निष्पादन की व्यवस्था कर ही विदेश के लिए प्रस्थान करेंगे।
4. डा० झा, को उक्त निर्धारित तिथि के पश्चात् तुरंत वापस लौटकर पदस्थापित स्थान पर योगदान कर लेना होगा, अन्यथा सेवा शर्तों के अधीन दंड के भागी होंगे।
5. डा० झा, विदेश यात्रा से लौटने के पश्चात् अपने पार-पत्र की छायाप्रति विभाग को उपलब्ध करायेंगे।
6. इस यात्रा अवधि का विनियमन उनको देय अवकाश से स्वीकृत किया जायेगा।

ह०/-

(विवेकानन्द ठाकुर)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-17/एल 1-21/2012- 384(17) /पटना, दिनांक- 11-6-18

प्रतिलिपि :-महालेखाकार (ले०एवंह०), बिहार, पटना/प्राचार्य, जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, भागलपुर/डा० शैलेश चन्द्र झा, सहायक प्राध्यापक, पी०एम०आर० विभाग, जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्राचार्य, जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, भागलपुर को निदेशित किया जाता है कि डा० झा के अवकाश अवधि के दौरान उनके कार्य का वैकल्पिक व्यवस्था कर अधोहस्ताक्षरी को सूचना उपलब्ध करावें।

सरकार के अवर सचिव।